



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17644

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44661/2025

हरीलाल

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: गोकरण सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. नए मामलों की सूची को संशोधित किया गया। याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है :-

I. मंडावस (परमादेश) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें तहसीलदार, तहसील-सगड़ी, जिला- आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे अराजी संख्या 1142, क्षेत्रफल 0.015 हेक्टेयर, जो ग्राम बघवार, पोस्ट-ताहिरपुर, परगना और तहसील-सगड़ी, जिला- आजमगढ़ में स्थित है, से कब्जा न हटाएं।

II. मंडावस (परमादेश) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़, जिला-आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 16.09.2025 के प्रत्यावेदन को तय करें, जो याची के अराजी संख्या 1142, क्षेत्रफल 0.015 हेक्टेयर, ग्राम बघवार, पोस्ट-ताहिरपुर, परगना और तहसील-सगड़ी, जिला- आजमगढ़ में स्थित कब्जे को न हटाने के संबंध में निस्तारण हेतु लंबित है।"

3. श्री विजय शंकर प्रसाद, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तहसीलदार, जिला आजमगढ़/प्रत्यर्थी संख्या 4 के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 23.01.2026 के निर्देश इस न्यायालय के समक्ष रखे, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 15.07.2025 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि याची ने अराजी संख्या 1142 पर स्थित ग्राम सभा की भूमि पर पूरी तरह से अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर याची के विरुद्ध दिनांक 30.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया था। इसके विरुद्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांक 04.11.2025 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिसमें अगली तिथि 28.01.2026 नियत है।

5. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 4-तहसीलदार, तहसील-सगड़ी, जिला आजमगढ़, जिनके समक्ष याची का रिकॉल (वापस लेने) प्रार्थना पत्र लंबित है, को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे इसे शीघ्रता से और अनावश्यक स्थगन दिए बिना तय करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"